



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/डीबीआर/2015-16/26
मास्टर निदेश डीबीआर.एफआईडी.सं.108/01.02.000/2015-16

23 जून 2016
(03 जुलाई 2025 को अद्यतित)

मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण-प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ठ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है तथा वित्तीय क्षेत्र की नीति के लिए हितकारी है, एतद्वारा इसमें इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (क) इन निदेशों को भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय विवरण-प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016 कहा जाएगा।
- (ख) ये निदेश उसी दिन से लागू होंगे, जिस दिन इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

2. प्रयोज्यता

ये निदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) यथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नावाड़), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), और राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक (एनएबीएफआईडी)।

अध्याय- ॥

तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा का फॉर्मेट और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना

3. एआईएफआई उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कारोबारों के संबंध में वर्ष या अवधि, जैसी स्थिति हो, के अंतिम कार्यदिवस के आधार पर तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेंगे, जिनका स्वरूप और तरीका उनके कार्यकलापों को अधिशासित करने वाले अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
4. एकल स्तरीय वित्तीय विवरणों (सीएफएस) के साथ-साथ, एआईएफआई समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार और प्रकट करेंगे।
5. समेकित वित्तीय लेखा, लेखांकन मानक (एएस) 21 – सीएफएस और अन्य संबंधित लेखांकन मानक – जैसे एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखा और एएस 27 – संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार तैयार किए जाएंगे। इस प्रयोजन से “मूल”, “अनुषंगी”, “सहयोगी”, “संयुक्त उद्यम”, “नियंत्रण” और “समूह” शब्दों का वही अर्थ होगा जो उपरोक्त लेखांकन मानकों में उन्हें दिया गया है।
6. समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी सभी अनुषंगियों, देशी और विदेशी, को भी समेकित करेगी, सिवाय उनके जिन्हें एएस- 21 के तहत विनिर्दिष्ट रूप से छूट देने की अनुमति दी गई हो। किसी अनुषंगी को समेकित न किए जाने का कारण सीएफएस में प्रकट करना होगा। किसी विशिष्ट संस्था को शामिल किया जाए या नहीं, यह निर्णय करने की ज़िम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी और यदि सांविधिक लेखापरीक्षकों का यह विचार है कि कोई संस्था जिसे समेकित किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया है, तो उन्हें इस बारे में टिप्पणी करनी होगी।
7. सीएफएस में सामान्यतः समेकित तुलन पत्र, समेकित हानि- लाभ लेखा विवरण, मुख्य लेखांकन नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को शामिल किया जाएगा।
8. समेकन में प्रयुक्त वित्तीय विवरण समान रिपोर्टिंग तिथि के होंगे। यदि यह संभव नहीं है, तो एएस- 21 अनुषंगी कंपनियों के छह महीने पुराने तुलन पत्र का प्रयोग करने की अनुमति देता है और निर्दिष्ट करता है कि बीच की अवधि में हुए महत्वपूर्ण लेन-देन या अन्य गतिविधियों के प्रभाव को समायोजित किया जाएगा। यदि मूल संस्था और अनुषंगी की तुलन पत्र तिथि अलग- अलग है, तो मूल संस्था की तुलन पत्र तिथि के अनुसार अंतर- समूह नेटिंग की जाएगी। ऐसे मामलों में, जहां तुलन पत्र तिथि एआईएफआई के समान है, वहां एआईएफआई नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा अपने अनुषंगियों की लेखापरीक्षा का इंतजार किए बिना अपना समेकित लेखा विवरण (सीएफएस) प्रकाशित करेंगे। तथापि, एआईएफआई मूल कंपनी के साथ अनुषंगियों के लेखों के समेकन से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अनुषंगियों के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है।

9. समान परिस्थितियों में समान प्रकार के लेन-देनों और अन्य गतिविधियों के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर सीएफएस तैयार किया जाएगा। यदि ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, तो इस तथ्य के साथ-साथ सीएफएस में जिन मदों के लिए भिन्न लेखांकन नीतियां लागू की गई हैं, उनका अनुपात प्रकट किया जाएगा। एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर सीएफएस तैयार करने के उद्देश्य से एआईएफआई अनुषंगियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए असमान लेखा नीतियों के समायोजन विवरण पर निर्भर करेंगे।
10. जिन मामलों में एक समूह की विभिन्न संस्थाएं विभिन्न व्यवसायों से संबंधित विनियामक द्वारा निर्धारित भिन्न लेखा मानकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, वहां समेकन के उद्देश्य के लिए, एआईएफआई एक ही प्रकार की परिस्थितियों में समान लेन-देन और अन्य गतिविधियों के लिए उस पर लागू होने वाले नियमों और विनियामक अपेक्षाओं का उपयोग करेंगे। जहां विनियामक मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वहां लेखांकन मानकों के अनुसार लागू मानदंडों का पालन किया जाएगा।
11. मूल्यांकन के प्रयोजन से, सहयोगी कंपनियों (एएस 23 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से छूटप्राप्त के अलावा) में निवेश का लेखांकन एएस 23 के अनुसार लेखांकन की "इक्विटी विधि" के अंतर्गत किया जाएगा।
12. जिन अनुषंगियों का समेकन न किया गया हो और जिन सहयोगियों को एएस 23 के अंतर्गत छूटप्राप्त है, इनमें निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबंधित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्यांकन का लेखांकन एएस 27 के "आनुपातिक समेकन" विधि से किया जाएगा। एआईएफआई अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों को विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में समेकन में शामिल न किए जाने से संबंधित लेखांकन मानकों के प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे।
13. एकल स्तरीय वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण एआईएफआई के वार्षिक लेखा प्रकाशित होने के एक माह के भीतर पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

अध्याय- III

वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण – लेखा पर टिप्पणियां

14. एआईएफआई वित्तीय विवरणों के "लेखा पर टिप्पणियों" में इन निदेशों के अनुबंध I में विनिर्दिष्ट की गई जानकारी प्रकट करेंगे। इस प्रकटीकरण का उद्देश्य केवल अन्य नियमों, विनियमों या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों की प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पूरक बनाना है, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करना। इस निदेश में दिए गए प्रकटीकरण न्यूनतम हैं, और एआईएफआई को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने विशिष्ट परिचालनों से संबंधित उपयुक्त माने जाने वाले अतिरिक्त प्रकटीकरण भी करें।
15. एआईएफआई लेखांकन मानकों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर अनुबंध II में दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे।

अध्याय- IV

समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

दायरा

16. यदि किसी एआईएफआई के कोई अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी हैं, तो उसे सीएफएस के साथ-साथ उसके नियंत्रण वाली सभी संस्थाओं सहित पूरे समूह से संबंधित समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर) भी तैयार करनी होगी, जैसा कि अनुबंध III में निर्धारित किया गया है। यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए एआईएफआई अनुबंध IV में दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे। किसी समेकित एआईएफआई के सीपीआर में वित्तीय गतिविधियां करने वाली उसकी संबंधित संस्थाओं (अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम) की जानकारी और लेखे शामिल किए जाएंगे। एआईएफआई को सीपीआर के प्रयोजन से किसी संस्था को शामिल न करने के लिए औचित्य बताना होगा।

बारंबारता

17. एकल संस्थाओं के लिए मौजूदा समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार करने पर मौजूदा दिशानिर्देश की तर्ज पर परोक्ष रिपोर्टिंग प्रणाली के एक भाग के रूप में सीपीआर छमाही आधार पर प्रस्तुत करना होगा। मार्च में समाप्त छमाही के लिए सीपीआर जून के अंत तक प्रस्तुत करना होगा। यदि सीपीआर के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लेखा-परीक्षित परिणाम उपलब्ध नहीं हैं, तो एआईएफआई ऐसी संस्थाओं के अलेखापरीक्षित परिणामों के साथ जून के अंत तक अनंतिम सीपीआर और सितंबर के अंत तक अंतिम स्थिति प्रस्तुत करेंगे। सितंबर में समाप्त छमाही के लिए सीपीआर दिसंबर के अंत तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।¹

फॉर्मेट

18. एआईएफआई संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित अपने एकल तुलन पत्र का फॉर्मेट ही उचित संशोधनों के साथ सीपीआर के लिए भी प्रयोग करेंगे। सीपीआर में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित एआईएफआई के वित्तीय/ जोखिम प्रोफाइल पर चयनित डेटा शामिल होंगे।

अन्य समेकित अनुदेश

19. जो संबंधित संस्थाएं गहन दीर्घकालिक प्रतिबंधों के अंतर्गत परिचालन कर रही हैं, जिससे मूल कंपनी को निधियाँ अंतरित करने की उनकी क्षमता काफी कम हो गई है, के संबंध में एआईएफआई को ऐसी संबंधित संस्थाओं द्वारा देय राशि और उनसे वसूली जाने वाली निवल राशि का बही मूल्य अलग से प्रकट करना होगा। एआईएफआई इसमें होने वाली कमी के लिए उपयुक्त प्रावधान करने पर भी विचार करेंगे।

¹ एनएचबी के मामले में अलेखापरीक्षित परिणामों के साथ अनंतिम सीपीआर सितंबर के अंत तक और अंतिम स्थिति दिसंबर के अंत तक प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय-V
निरसन और अन्य प्रावधान

निरसन और जारी रहना

20. इन निदेशों को जारी करने के साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुबंध V में दिए गए परिपत्रों में निहित अनुदेश/ दिशानिर्देश निरस्त किए जाते हैं। उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए सभी अनुदेश/ दिशानिर्देश इन निदेशों के अधीन दिए गए माने जाएंगे। निरसन की तारीख के बाद बैंक द्वारा जारी किए गए किसी अन्य परिपत्र/ दिशानिर्देश/ अधिसूचना में इन निरस्त किए गए परिपत्रों के उल्लेख का आशय इन निदेशों, अर्थात्, वित्तीय विवरण – प्रस्तुति और प्रकटीकरण निरस्त, 2016 के संदर्भ में माना जाएगा। इस निरसन के बावजूद, एतद्वारा निरस्त किए गए परिपत्रों के तहत की गई, की गई मानी गई या आरंभ की गई कार्रवाई इन्हीं परिपत्रों के प्रावधानों के द्वारा अधिशासित होती रहेगी।
- 20ए. इन निदेशों में निहित अनुदेशों को आज तक जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों को शामिल करके उचित रूप से अद्यतन/संशोधित किया गया है। ऐसे परिपत्रों की सूची अनुबंध VI में दी गई है।

अन्य कानूनों का लागू होना प्रतिबंधित नहीं

21. इन निदेशों के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों की अवमानना में नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त होंगे।

व्याख्याएं

22. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या प्रावधानों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो, इसमें शामिल किसी भी विषय पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, और इन देशों के किसी भी प्रावधान पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

अनुबंध I

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण – ‘लेखा पर टिप्पणीयां’

1. सामान्य

इन निदेशों में सूचीबद्ध की गई मदों को एकल स्तरीय वित्तीय विवरण और सीएफएस, दोनों में “लेखा पर टिप्पणी” में प्रकट किया जाएगा। एआईएफआई, जहां महत्वपूर्ण हो, अतिरिक्त प्रकटीकरण करेंगे। जब तक विनिर्दिष्ट रूप से न कहा गया हो, अनुषंगियों से संबंधित विवेकपूर्ण मदों को लेखा पर टिप्पणी में प्रकटीकरण के लिए समेकित किया जाएगा, जैसा कि उनकी लेखा बही/ वित्तीय विवरण/ लेखा पर टिप्पणी में दर्शाया गया हो (उन्हें एआईएफआई पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार संरेखित करने के लिए किसी समायोजन के बिना)।

2. प्रस्तुतीकरण

“महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ” का सार-संक्षेप और “लेखे पर टिप्पणी” अलग से दर्शाई जाएगी।

3. प्रकटीकरण अपेक्षाएं

तुलन पत्र की विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त, एआईएफआई से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित जानकारी “लेखे पर टिप्पणी” में प्रस्तुत करें।

3.1 पूँजी पर्यासिता²

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	व्योरे	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी 1) (कटौतियों को छोड़कर, यदि कोई हो)		
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी		
iii)	टियर 1 पूँजी (i+ii)		
iv)	टियर 2 पूँजी		
v)	कुल पूँजी (टियर 1+टियर 2)		
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)		
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)		
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)		
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूँजी)		

² एआईएफआई पर लागू रिजर्व बैंक के निदेशों का प्रयोग करते हुए सीएफएस के प्रयोजन से अनुषंगियों की जोखिम भारित आस्तियों की काल्पनिक पुनर्गणना की जाएगी।

क्र.सं.	व्योरे	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडबल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)		
xi)	लीवरेज अनुपात		
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत ए) भारत सरकार बी) अन्य वाणिज्यिक बैंक सी) अन्य वित्तीय संस्थान (अन्य एआईएफआई सहित)		
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्किटी पूंजी की राशि		
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्किटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से साधन के प्रकार के अनुसार सूची ³ दें (सतत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर, ऋण पूंजी लिखत, आदि)। एआईएफआई को यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि लिखत बासेल । अथवा बासेल ॥। के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से क) लिखत के प्रकार के अनुसार सूची ⁴ दें (सतत संचयी/मोचनीय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर, ऋण पूंजी लिखत, आदि)। एआईएफआई को यह भी निर्दिष्ट करना होगा कि लिखत बासेल । अथवा बासेल ॥। के अनुरूप हैं अथवा नहीं।		

³ उदाहरण: एआईएफआई द्वारा निम्नानुसार प्रकटीकरण किया जा सकता है:

वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्किटी टियर 1 पूंजी की राशि:	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
ए) बासेल ॥। अनुपालक सतत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर।	####	####
बी) बासेल ॥। अनुपालक सतत ऋण उपकरण	####	####
सी)		

⁴ उदाहरण: एआईएफआई द्वारा निम्नानुसार प्रकटीकरण किया जा सकता है:

वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्किटी टियर 2 पूंजी की राशि:	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
ए) बासेल ॥। अनुपालक सतत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर।	####	####
बी) बासेल ॥। अनुपालक सतत ऋण उपकरण	####	####
सी)		

3.2 मुक्त आरक्षित निधियां और प्रावधान

3.2.1 मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान

(राशि करोड़ ₹ में)

व्योरे	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान		

3.2.2 अस्थिर प्रावधान

(राशि करोड़ ₹ में)

व्योरे	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) अस्थिर प्रावधान खाते में आरंभिक शेष		
(ख) लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधान की मात्रा		
(ग) लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कमी की राशि		
(घ) अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष		

नोट: लेखांकन वर्ष में की गई आहरण द्वारा कमी के प्रयोजन का उल्लेख किया जाएगा।

3.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i) निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए (%)		
(ii) एनपीए की गतिविधि (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग) वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) अंतिम शेष		
(iii) निवल एनपीए का अंतरण		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(ग) वर्ष के दौरान कटौती		
(घ) अंतिम शेष		
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि		
(मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़ कर)		
(क) प्रारंभिक शेष		
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट आफ/राइट बैक		
(घ) अंतिम शेष		

3.3.2 अनर्जक निवेश⁵

विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि करोड़ ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
<ul style="list-style-type: none"> (i) निवल निवेशों पर निवल एनपीआई (%) (ii) एनपीआई की गतिविधि (सकल) <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (ग) वर्ष के दौरान कटौती (घ) अंतिम शेष (iii) निवल एनपीआई की गतिविधि <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (ग) वर्ष के दौरान कटौती (घ) अंतिम शेष (iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक आस्तियों से संबन्धित प्रावधानों को छोड़कर) <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान (ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट आफ/राइट बैक (घ) अंतिम शेष 		

3.3.3 अनर्जक आस्तियां (3.3.1+3.3.2)

विवरण	वर्तमान वर्ष	(राशि करोड़ ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
<ul style="list-style-type: none"> (i) निवल आस्तियों पर निवल एनपीए (अग्रिम + निवेश) (%) (ii) एनपीए की गतिविधि (सकल अग्रिम + सकल निवेश) <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (ग) वर्ष के दौरान कटौती (घ) अंतिम शेष (iii) निवल एनपीए की गतिविधि <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (ग) वर्ष के दौरान कटौती (घ) अंतिम शेष (iv) एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर) <ul style="list-style-type: none"> (क) प्रारंभिक शेष (ख) वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान (ग) अतिरिक्त प्रावधानों का लेखन/प्रतिलेखन (घ) अंतिम शेष 		

⁵ अनर्जक निवेशों को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से कुल निवेशों में वह निवेश शामिल नहीं होगा जो पूर्जी पर्याप्तता प्रणाली के अंतर्गत शून्य जोखिम भारांक निर्दिष्ट है।

3.3.4 समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

ए) [07 जून 2019 को जारी परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19](#) के माध्यम से 'दबावप्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' द्वारा कवर किए गए एआईएफआई को कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करने होंगे। उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 30 के अनुसार, पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इकिटी में परिवर्तित करने के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार जोखिम, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर-समूह जोखिम पर विनियामक सीमा/प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। हालाँकि, इसका विवरण एआईएफआई द्वारा अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के लेखा नोट्स में प्रकट किया जाएगा।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025 के अंतर्गत प्रकटीकरण

ऋणदाता को अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखों पर टिप्पणियाँ' के अंतर्गत, कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित उचित प्रकटीकरण करना होगा। प्रकटीकरण का प्रारूप नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	मद विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (करोड़ ₹ में)
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं।		
2	तिमाही के दौरान स्वीकृत ऐसी परियोजनाएं जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।		
3	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं जहां तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल किया गया है		
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं। (1+2-3)		
5	'4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू की गई है।		
5.1	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
5.2	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है।		
5.3	'5' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है।		
6	'5' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो,		

	परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण लागू की गई है।		
7	'5' में से, वह खाता जिसके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी लागत वृद्धि, जैसा भी मामला हो, वित्तपोषित की गई थी		
7.1	'7' में से वे खाते जहां एसबीसीएफ को वित्तीय समापन के दौरान मंजूरी दी गई थी और लगातार नवीनीकृत किया गया था		
7.2	'7' में से वे खाते जिनमें एसबीसीएफ को पूर्व-स्वीकृत नहीं किया गया था या जिनका लगातार नवीनीकरण नहीं किया गया था		
8	'4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार को शामिल न करते हुए समाधान प्रक्रिया लागू की गई है, जैसा भी मामला हो।		
8.1	'8' खातों में से जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।		
8.2	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है।		
8.3	'8' में से – वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है।		

3.3.5 अनर्जक आस्तियों की गतिविधि

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
लेखा अवधि की प्रारम्भिक तिथि तक सकल एनपीए ⁶ (प्रारम्भिक शेष)		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त (नये एनपीए)		
उप जोड़ (क)		
घटाएँ:		
(i) उन्नयन		
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोड़कर)		
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण ⁷ राइट आफ		
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत किए गए राइट आफ को छोड़ कर		
उप – जोड़ (ख)		
अगले वर्ष के 31 मार्च तक सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)		

⁶ समय-समय पर संशोधित [02 अप्रैल 2024](#) के अधिमो से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के परिपत्र में निर्दिष्ट सकल एनपीए

⁷ तकनीकी राइट-ऑफ जैसा कि [8 जन 2023 के परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24](#) 'समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए रूपरेखा' में परिभाषित किया गया है।

3.3.6 वसूलियां और बटे खाते डालना

(राशि करोड़ ₹ में) विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1 अप्रैल को बटे खाते डाले गए तकनीकी/विवेकपूर्ण खातों का प्रारम्भिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बटे खाते डाले गए तकनीकी/विवेकपूर्ण खाते		
उप-जोड़ (क)		
घटाएं : पूर्व में बटे खाते डाले गए तकनीकी/विवेकपूर्ण खातों से वर्ष के दौरान की गई वसूली (ख)		
31 मार्च तक अंतिम शेष (क-ख)		

3.3.7 विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

विवरण	(राशि करोड़ ₹ में)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कुल आस्तियां			
कुल एनपीए			
कुल राजस्व			

3.3.8 निवेश पर मूल्यहास और प्रावधान

विवरण	(राशि करोड़ ₹ में)	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) निवेश			
(i) सकल निवेश			
(क) भारत में			
(ख) भारत से बाहर			
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान			
(क) भारत में			
(ख) भारत से बाहर			
(iii) निवल निवेश			
(क) भारत में			
(ख) भारत से बाहर			
(2) निवेश में मूल्यहास से संबंधित प्रावधानों की गतिविधि			
i) प्रारम्भिक शेष			
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान			
iii) वर्ष के दौरान निवेश उत्तार-चढ़ाव आरक्षित खाते से किया गया विनियोजन, यदि कोई हो,			
iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट आफ/ राइट बैक			

v) घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में किया गया अंतरण, यदि कोई हो, vi) अंतिम शेष		
---	--	--

3.3.9 प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि करोड़ ₹ में)

'प्रावधान और आकस्मिकताओं' का वर्गीकरण लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया हैः	मौजूदा वर्ष	पूर्व वर्ष
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
एनपीए के लिए प्रावधान		
आयकर के लिए बनाए गए प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (व्योरे सहित)		

3.3.10 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (सकल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने का अनुपात) का मौजूदा वर्ष और पूर्व वर्ष के लिए कारोबार की समाप्ति पर प्रकटीकरण किया जाएगा।

3.4 निवेश पोर्टफोलियो: संरचना और परिचालन

3.4.1 पुनर्खरीद (रेपो) लेनदेन

(राशि करोड़ ₹ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च को बकाया
पुनर्खरीद के तहत प्रतिभूतियां (i) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां (i) सरकारी प्रतिभूति (ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				

3.4.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ ₹ में)						
क्र सं.	जारीकर्ता	कुलराशि	निजी प्लेसमेंट के माध्यम से किया गया निवेश	'निवेश ग्रेड से नीचे' धारित प्रतिभूतियाँ	'अमूल्यांकित' धारित प्रतिभूतियाँ	'गैर सूचीबद्ध' धारित प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पीएसयू					
2.	वित्तीय संस्थाएं					
3.	बैंक					
4.	निजी कॉर्पोरेट					
5.	अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम					
6.	अन्य					
7.	मूल्यहास के लिए रखा गया प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल*					
#	स्तंभ 3 में केवल प्रावधान की कुल राशि का प्रकटीकरण किया जाना है।					

नोट: (1) * कॉलम 3 के अंतर्गत कुल योग का तुलनपत्र में निम्नलिखित श्रेणियों के निवेशों के कुल

योग से मिलान किया जाएगा :

- क) शेअर
- ख) डिबेंचर एवं बॉँड
- ग) अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम
- घ) अन्य

(2) कॉलम 4,5,6, और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि पारस्परिक रूप से अलग नहीं होगी।

3.4.3 एचटीएम श्रेणी से /को बिक्री एवं अंतरण

यदि एचटीएम श्रेणी को /से बेची और अंतरित की गई प्रतिभूतियों का मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में किए गए निवेश के बही मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक है, तो वित्तीय संस्थाओं को एचटीएम श्रेणी में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का प्रकटन करना चाहिए और जिसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं, उस बाजार मूल्य के संबंध में अतिरिक्त बही मूल्य को दर्शाना चाहिए। यह प्रकटीकरण वित्तीय संस्थाओं के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

3.4.4 सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)⁸

...(वर्तमान वर्ष की तुलन-पत्र तिथि)

(राशि करोड़ ₹ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च तक बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्चिक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्चिक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

जैसा कि... (पूर्ववर्ती वर्ष की तुलन-पत्र तिथि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च तक बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्चिक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्चिक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

⁸ प्रकटीकरण समय-समय पर संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी प्रतिभूति उधार) नियोग, 2023 में निर्दिष्ट अनुसार होगा। संदर्भ

की सुविधा के लिए, इस नियोग के जारी होने की तिथि के अनुसार प्रकटीकरण टेम्पलेट यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है।

3.5. प्रकटीकरण

ऋण एक्सपोजरों का अंतरण⁹

ऋणदाताओं को अपने वित्तीय विवरणों में, 'लेखों के नोट' के अंतर्गत, नीचे निर्धारित अनुसार, अन्य संस्थाओं को/से अंतरित और अर्जित किए गए डिफ़ॉल्ट /दबावग्रस्त ऋणों की कुल राशि से संबंधित, तिमाही आधार पर उचित प्रकटीकरण करना चाहिए:

(i) ऐसे ऋणों के संबंध में जो डिफ़ॉल्ट रूप से अंतरित अथवा अर्जित नहीं किए गए हैं, प्रकटीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ भारित औसत परिपक्ता, भारित औसत धारिता अवधि, लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण, मूर्त सुरक्षा कवरेज का समावेशन, तथा रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से अंतरणकर्ता को उन सभी मामलों का प्रकटीकरण करना चाहिए, जहां वह अंतरितियों को अंतरित ऋणों को बदलने अथवा किसी प्रतिनिधित्व अथवा वारंटी से उत्पन्न होने वाली क्षति का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ हो। प्रकटीकरण में समनुदेशन (असाइनमेंट) /नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से अंतरित/अर्जित ऋणों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) अंतरित अथवा अर्जित दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
(सभी राशि र करोड़ में)	एआरसी के लिए	अनुमत अंतरित व्यक्तियों के लिए	अन्य अंतरित व्यक्तियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या			
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन			
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

⁹ ये प्रकटीकरण मूल रूप से [भारतीय रिजर्व बैंक \(ऋण जोखिमों का अंतरण\) नियन्त्रण, 2021](#) में निर्दिष्ट हैं और इन्हें केवल संदर्भ की सुविधा के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर इन नियन्त्रणों और [भारतीय रिजर्व बैंक \(ऋण जोखिमों का अंतरण\) नियन्त्रण, 2021](#) के बीच किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में, बाद वाले दिशानिर्देश ही मान्य होंगे। लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण करते समय, बैंकों को तुलना की सुविधा के लिए अनिवार्य रूप से चालू और पिछले दोनों वर्षों के आँकड़े प्रदान करने चाहिए।

अंतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (अंतरण के समय)			
समग्र प्रतिफल			
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त हुआ			
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण			
(सभी राशियाँ ₹ करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	एआरसी से	
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन			
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल			
प्राप्त ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि			

अंतरणकर्ता को दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा के संबंध में भी उचित प्रकटीकरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऋणदाताओं को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा धारित एसआर के वितरण का प्रकटीकरण करना चाहिए।

3.6 परिचालनगत परिणाम

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i) कार्यकारी निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय (ii) कार्यकारी निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर ब्याज आय ⁵ (iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ ⁶ (iv) आस्तियों पर प्रतिफल ⁷ (v) इक्विटी पर लाभांश ¹⁰ (vi) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)		

\$भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए अनुसार कुल आस्तियों के औसत के रूप में मानी जाने वाली कार्यकारी निधियां (संचित हानि को छोड़कर, यदि कोई हो)

@'आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यकारी निधियों के संदर्भ में होगा (अर्थात्, संचयी हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर कुल आस्तियां)।

3.7 ऋण संकेंद्रण जोखिम

3.7.1 पूंजी बाजार एक्सपोज़र¹¹

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी मूल निधि विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;		
(ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को जमानती आधार पर अग्रिम;		

¹⁰ इक्विटी पर लाभांश की गणना वर्ष के आरंभ में इक्विटी के आरंभिक शेष और वर्ष के अंत में समापन शेष के औसत के आधार पर की जाएगी। आस्तियों पर लाभांश की गणना औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो, आस्तियों का कुल योग) के आधार पर की जाएगी, जिसकी गणना पिछले लेखा वर्ष के अंत, उसके बाद के छमाही के अंत और रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में की जाएगी।

¹¹ सूचीबद्ध केपनियों के संबंध में बकाये की पुनर्रचना के लिए, मौजूदा विनियन और सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन ऋणदाताओं को उनके हानि/त्याग के लिए कंपनी की इक्विटी के अग्रिग निर्गम के द्वारा शुरू से प्रतिपूर्ति दी जाए (निवल वर्तमान मूल्य में खाते के उचित मूल्य में कमी अधिक हो (सीएमई)। यदि इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर(वार्षिक वि 'जाता हैतीय विवरण में 'लेखे पर टिप्पणियां' में इसे प्रकट किया जाए। एआईएफआई नीतिगत ऋण पुनर्रचना के भाग के रूप में ईक्विटी में ऋण के परिवर्तन के ब्योरे का अलग से प्रकटन करेंगे जिसे सीएमई सीमा से छूट प्राप्त हो।

(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;		
(iv) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्चक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, अर्थात जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;		
(v) स्टॉकब्रोकरों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टॉकब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई गारंटी;		
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांड / डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के विरुद्ध अथवा स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत क्रृण;		
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक क्रृण;		
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;		
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण ;		
(x) वेंचर कैपिटल फंड्स (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर		
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		

3.7.2 देश जोखिम के प्रति एक्सपोज़र

(राशि करोड़ ₹ में)

जोखिम की श्रेणी*	एक्सपोजर (निवल) मार्च की स्थिति... (वर्तमान वर्ष)	धारित प्रावधान मार्च की स्थिति... (वर्तमान वर्ष)		धारित प्रावधान मार्च की स्थिति... (पूर्ववर्ती वर्ष)
नगण्य				
निम्न				
मध्यम				
उच्च				
अधिक उच्च				
प्रतिबंधित				
ऑफ-क्रेडिट				
योग				

* एआईएफआई वर्गीकरण और देश जोखिम एक्सपोजर के लिए प्रावधान करने के प्रयोजन से भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) द्वारा अपनाए गए सात श्रेणी के वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। ईसीजीसी एआईएफआई के अनुरोध पर उन्हें अपने देश वर्गीकरण के त्रैमासिक अपडेट प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश वर्गीकरण में अचानक किसी प्रमुख परिवर्तनों के मामलों में सभी बैंकों को भी सूचित करेगा।

3.7.3 विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा – विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएँ-एआईएफआई से अधिक जुड़े हुए प्रतिपक्षों का एकल प्रतिपक्ष/समूह

(i) वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर¹² सीमा के अलावा एक्सपोजर की संख्या और सीमा¹³

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	पैन संख्या	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कूट	उद्योग का नाम	श्वेत	वापस की गई राशि	वापस न की गई राशि	टियर । पूंजी की प्रतिशतता के रूप में एक्सपोजर
1.					कुल	0.00	0.00	0.00%

(ii) टियर । पूंजी की प्रतिशतता के रूप में और कुल आस्तियों की प्रतिशतता के रूप में एक्सपोजर, निम्न के संबंध में:

- * सबसे बड़ा एकल प्रतिपक्ष;
- * जुड़े हुए प्रतिपक्षों का सबसे बड़ा समूह ;
- * 20 सबसे बड़े एकल प्रतिपक्ष;
- * जुड़े हुए प्रतिपक्षों के 20 सबसे बड़े समूह ;

¹² भारतीय रिजर्व बैंक (वासेल ।।। पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023 के अध्याय ।।। के पैरा 22 के अनुसार एक्सपोजर निर्धारित किया जाएगा।

¹³ कृपया बताएं कि सीमा का उल्लंघन आरबीआई के पूर्वानुमोदन से अथवा अन्यथा किया गया है।

(iii) पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को ऋण एक्सपोजर (यदि लागू हो) कुल ऋण आस्तियों को प्रतिशतता के रूप में

(iv) अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए राइट्स प्राधिकार आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां, लाइसेंस, उसी प्रकारती गई हैं जिस प्रकार ऐसे संपार्श्विक की आंकलित कीमत। अन्य पूर्णतः गैर जमानती-ऋणों से ऐसे ऋणों का विभेद करने के लिए अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकटन किया जाएगा।

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	(राशि करोड़ ₹ में)
बैंक के कुल गैर-जमानती अग्रिम			
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की वह राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि लिए गए हैं			
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य			

(v) आढ़त (फैक्टरिंग) एक्सपोजर

आढ़त (फैक्टरिंग) जोखिमों का अलग से प्रकटीकरण किया जाएगा।

3.7.4 उधार/ ऋण व्यवस्था, ऋण एक्सपोजर और एनपीए का संकेद्रण (एकल और समेकित स्तर पर अलग से दर्शाया जाए, यदि लागू हो)।¹⁴

(क) उधार तथा ऋण व्यवस्था का संकेद्रण

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	(राशि ₹ करोड़ में)
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधार			
एआईएफआई के कुल उधार में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत			

¹⁴ “ऋण एक्सपोजर” में निधीकृत और गैर-निधीकृत ऋण सीमाएं, हामीदारी तथा अन्य इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी। एक्सपोजर सीमा की गणना के लिए स्वीकृत सीमाएं अथवा बकाया राशि, जो भी अधिक हो, को गिना जाएगा। तथापि, मीयादी ऋणों के मामले में एक्सपोजर सीमाओं को वास्तविक बकाया तथा असंवितरित या अनाहरित प्रतिबद्धताओं के आधार पर गिना जाना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां संवितरण अभी शुरू होना शेष है, एक्सपोजर सीमाओं को स्वीकृत सीमा या एआईएफआई द्वारा उधारकर्ता कंपनियों के साथ करार के अनुसार प्रतिबद्धता की सीमा तक गिना जाना चाहिए। एआईएफआई को मौजूदा एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार गैर निधीकृत ऋण सीमा में विदेशी मुद्रा में फॉरवर्ड संविदा की ऋण के ब्रावर राशियां तथा करेंसी स्वैप, ऑप्शन आदि जैसे अन्य व्युत्पन्नी उतारद शामिल करने चाहिए।

(ख) ऋण एक्सपोजर का संकेंद्रण *

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर		
एआईएफआई के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोजर का प्रतिशत		
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर		
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के संबंध में एआईएफआई के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत		
एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर में शीर्ष दस देशों को एक्सपोजर के योग का प्रतिशत		

* भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार ऋण एक्सपोजर में डेरिवेटिव शामिल हैं।

(ग) एक्सपोजर और एनपीए का क्षेत्र-वार संकेंद्रण

एआईएफआई निम्नलिखित प्रारूप में उन उप क्षेत्रों का प्रकटन भी करेंगे जहां बकाया अग्रिम उप क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हो। उदाहरण के लिए, यदि खनन उद्योग को बकाया अग्रिम 'उद्योग' क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तो वह उक्त प्रारूप में 'उद्योग' क्षेत्र के अंतर्गत खनन को अपने बकाया अग्रिमों के ब्योरे का अलग से प्रकटन करेगा।

एक्जिम बैंक

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
अ	घरेलू क्षेत्र						
1	कुल निर्यात वित्त						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
2	कुल आयात वित्त						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
3.	(अ) में से, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एक्सपोजर						
आ	बाह्य क्षेत्र						

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
1	कुल निर्यात वित्त						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
2	कुल आयात वित्त						
	कृषि क्षेत्र						
	औद्योगिक क्षेत्र						
	सेवा क्षेत्र						
3.	(ब) में से, भारत सरकार से गारंटीप्राप्त एक्सपोजर						
इ	अन्य एक्सपोजर						
ई	कुल एक्सपोजर (अ+आ+इ)						

नाबाड़

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	कृषि से जुड़े कार्यों सहित कृषि क्षेत्र						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य के पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)						
II.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
	कुल (I+II)						

एनएचबी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	आवास क्षेत्र						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य के पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	एचएफसी						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों और एचएफसी को छोड़कर)						
II.	वाणिज्यिक रियल स्टेट, यदि कोई हो ¹⁵						
III.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
III	कुल (I+II+III)						

सिडबी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र						
1.	केंद्र सरकार						

¹⁵ वाणिज्यिक रियल स्टेट को एक्सपोजर में वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार रहिवासी भवन, बहुत से किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडारण स्थल, होटेल, जमीन अधिग्रहण, विकास और निर्माण, इत्यादि) बंधक (मार्टिंगेज) की प्रतिभूति प्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर शामिल हैं। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित सीमाएं भी शामिल होंगी।

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)						
II	मार्ईको वित्त क्षेत्र						
III	अन्य						
	कुल (I+II+III)						

राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) | National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID).

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	औद्योगिक क्षेत्र						
1.	केंद्र सरकार						
2.	केंद्रीय पीएसयू						
3.	राज्य सरकारें						
4.	राज्य पीएसयू						
5.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
7.	सहकारी बैंक						
8.	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)						
II	मार्ईको वित्त क्षेत्र						
III	अन्य						
	कुल (I+II+III)						

3.7.5 अपेक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए एआईएफआई अपनी नीतियां प्रकट करेगा। वह इस जोखिम के संबंध में वृद्धिशील प्रावधानीकरण और उनके द्वारा धारित पूंजी का भी का प्रकटीकरण करेगा।

3.8 डेरिवेटिव

3.8.1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<ul style="list-style-type: none"> i. स्वैप करारों का अनुमानित मूलधन ii. हानियां, जो काउंटरपार्टी द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में होगी iii. स्वैप करार करने पर एआईएफआई द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक iv. स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेद्रण^{\$} v. स्वैप बही का उचित मूल्य[@] 		

नोट: ऋण और बाज़ार जोखिम से संबंधित सूचना सहित स्वैप का प्रकार और शर्तों तथा स्वैप को रिकार्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

\$ किसी विशेष उद्योग के साथ एक्सपोजर अथवा उच्च जोखिम वाली कंपनियों के साथ स्वैप संकेद्रण के उदाहरण हो सकते हैं।

@ यदि स्वैप विनिर्दिष्ट आस्तियों, देयताओं, अथवा प्रतिवद्धताओं के साथ संबद्ध है तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो स्वैप करार को रद्द करने पर तुलनपत्र की तारीख को एआईएफआई को प्राप्त होगी अथवा उसके द्वारा भुगतान की जाएगी। ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य उसका बाज़ार दर पर मूल्य (मार्क टू मार्केट वैल्यू) होगा।

3.8.2 एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(i)	वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों की अनुमानिक मूलधन राशि (लिखतवार)		

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(ii)	एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों की अनुमानिक मूलधन राशि, जो 31 मार्च को बकाया है (लिखतवार)		
(iii)	एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों की आनुमानिक मूलधन बकाया राशि और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)		
(iv)	एक्सचेंज पर ब्याज दर डेरिवेटिव सौदों का दैनिक बाजार दर पर मूल्य (मार्क टू मार्केट वैल्यू) जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है (लिखतवार)		

3.8.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

एआईएफआई डेरिवेटिव्स के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगे जो विशेष रूप से डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में होगी। चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

- (क) डेरिवेटिव सौदों में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,
- (ख) जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग, और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और स्वरूप,
- (ग) बचाव (हेजिंग) और/ अथवा जोखिम कम करने की नीतियां तथा बचाव / कम करने में सहायकों के प्रभाव को जारी रखने हेतु निगरानी की प्रक्रिया और
- (घ) बचाव व्यवस्था-युक्त और बचाव व्यवस्था रहित लेनदेनों की रिकार्डिंग करने के लिए लेखांकन नीति; आय निर्धारण, प्रीमियम और छूट; बकाया संविदा का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण, संपार्श्विक और ऋण जोखिम को कम करना।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
		करेसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि)				
	क) बचाव के लिए				
	ख) ट्रेडिंग के लिए				
(ii)	मार्क टू मार्केट स्थितियां [1]				
	क) आस्ति (+)				
	ख) देयता (-)				
(iii)	ऋण जोखिम [2]				

क्रसं	ब्योरा	वर्तमान वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
		करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	करेंसी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) बचाव डेरिवेटिव पर				
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर				
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01 का अधिकतक और न्यूनतम				
	क) बचाव व्यवस्था पर				
	ख) ट्रेडिंग पर				

नोट :

- प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए निवल स्थिति आस्ति अथवा देयता, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत दर्शाई जाएगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार एआईएफआई डेरिवेटिव उत्पादों के ऋण एक्सपोज़र के आकलन पर वर्तमान एक्सपोज़र उपाय अपनाएं।

3.9 एआईएफआई द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण

एआईएफआई वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी सभी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) के संपूर्ण ब्योरों का, उनके मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव सहित प्रकटीकरण करेंगे, और साथ ही, उनके द्वारा पूर्व में जारी तथा बकाया चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) के अंतर्गत उनके मूल्यांकित संचयी वित्तीय दायित्वों का भी प्रकटीकरण करेंगे।

3.10 आस्ति देयता प्रबंधन

	(राशि ₹ करोड़ में)								
	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से ऊपर और 6 महीने तक	6 महीने से ऊपर और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
जमाराशियां									
अग्रिम									
निवेश									

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने	3 महीने से ऊपर और 6 महीने तक	6 महीने से ऊपर और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ऊपर और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
उधार									
विदेशी मुद्रा आस्तियां									
विदेशी मुद्रा देयताएं									

4. आरक्षित निधि में से आहरण द्वारा कमी

आरक्षित निधि में से आहरण के कारण हुई किसी भी कमी के संबंध में उचित प्रकटीकरण किया जाएगा।

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, के अंतर्गत अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन अथवा अधिनियम की किसी अन्य अपेक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आदेश नियम या शर्त, का अनुपालन न करने पर आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण निम्नानुसार किया जाएगा:

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जाएगी, जिसमें दंड लगाए जाने की सूचना सहित उन परिस्थितियों का व्योरा पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत एआईएफआई पर दंड लगाया गया है।
- (ख) संबंधित एआईएफआई की अगली वार्षिक रिपोर्ट में तुलन पत्र के "लेखे पर टिप्पणियां" में दंड का प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (ग) विदेशी शाखा के मामले में उसके भारत में परिचालन के लिए अगले तुलनपत्र के "लेखे पर टिप्पणियां" में दंड का प्रकटीकरण किया जाएगा।

6. ग्राहक शिकायतों का प्रकटीकरण

		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या		
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या		
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		

7. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण¹⁶

वार्षिक लेखा टिप्पणियों में, प्रवर्तकों को विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए तुलन-पत्र की तिथि तक प्रवर्तक द्वारा प्रतिधारित जोखिमों की कुल राशि दर्शानी चाहिए। ये आँकड़े प्रवर्तक द्वारा एसपीई से प्राप्त एसपीई के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दी गई तालिका¹⁷ में दिए गए प्रारूप में किए जाने चाहिए।

(संख्या/राशि करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च (पूर्ववर्ती वर्ष)
1.	प्रवर्तक द्वारा शुरू किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों से संबंधित एसपीवी की यहां रिपोर्ट की जानी है)		
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलन-पत्र की तिथि पर एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजरों की कुल राशि		
	ए) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> प्रथम हानि अन्य 		
	बी) तुलन-पत्र के एक्सपोजर <ul style="list-style-type: none"> प्रथम हानि अन्य 		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि		

¹⁶ ये प्रकटीकरण मूल रूप से [भारतीय रिजर्व बैंक \(मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण\) नियंत्रण, 2021](#) में निर्दिष्ट हैं और इन्हें केवल संदर्भ की सुविधा के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में इन नियंत्रणों और [भारतीय रिजर्व बैंक \(मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण\) नियंत्रण, 2021](#) के बीच किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में, बाद वाले नियंत्रण ही मान्य होंगे।

¹⁷ 'सरल, पारदर्शी और तुलनीय' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग-अलग तालिका प्रदान की जाएगी

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च (पूर्ववर्ती वर्ष)
	<p>ए) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर</p> <p>i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य <p>ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य 		
	<p>बी) तुलन-पत्र के एक्सपोजर</p> <p>i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य <p>ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रथम हानि • अन्य 		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रिय प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि		
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।		
7.	<p>प्रदान की गई सुविधा का प्रकटीकरण। कृपया प्रत्येक सुविधा, जैसे ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सेवा एजेंट आदि, के लिए अलग-अलग जानकारी प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य का प्रतिशत कोष्ठक में लिखें।</p> <p>(ए) भुगतान की गई राशि</p> <p>(बी) प्राप्त पुनर्भुगतान</p> <p>(सी) बकाया राशि</p>		
8.	विगत में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग, जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि, के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।		(पिछले 5 वर्षों की औसत डिफ़ॉल्ट दर का उल्लेख किया जा सकता है)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च (वर्तमान वर्ष)	31 मार्च (पूर्ववर्ती वर्ष)
9.	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप-अप क्रृणों की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग, जैसे आरएमबीएस, वाहन क्रृष्ण, आदि के लिए अलग-अलग विवरण प्रदान करें।		
10.	निवेशकों की शिकायतें (ए) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (बी) लंबित शिकायतें		

8. तुलनपत्रेर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिन्हें समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेशी

9. विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

9.1 लेखांकन मानक 5– निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मद्दें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

यदि आय/ व्यय की गणना सकल आधार पर, अथवा कर पूर्व निवल लाभ के एक प्रतिशत अथवा निवल हानियों, जैसा भी मामला हो, पर की जाती है, तो एआईएफआई यह सुनिश्चित करेगी कि पूर्व अवधि की आय अथवा पूर्व अवधि के व्यय की किसी भी मद, जो एआईएफआई की कुल आय/ कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हो के संबंध में एएस 5 का अनुपालन किया गया है, यदि आय की लागत से निवल गिना गया है।

9.2 लेखांकन मानक 17- खंडवार रिपोर्टिंग

लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए निर्देशक फॉर्मेट निम्नानुसार है:-

फॉर्मेट

भाग क: व्यवसाय खंड

(राशि करोड़ ₹ में)

व्यवसाय खंड	खजाना		थोक परिचालन (पुनर्वित्त)		थोक परिचालन (प्रत्यक्ष उधार)		अन्य व्यवसाय		कुल	
	वर्तमा न वर्ष	पूर्वव र्ती वर्ष	वर्तमा न वर्ष	पूर्वव र्ती वर्ष	वर्तमा न वर्ष	पूर्वव र्ती वर्ष	वर्तमा न वर्ष	पूर्वव र्ती वर्ष	वर्तमा न वर्ष	पूर्वव र्ती वर्ष
व्योरे										
राजस्व										
परिणाम										
अनाबंटि त व्यय										
परिचाल न-गत लाभ										
आय कर										
असाधार ण लाभ/हा नि										
निवल लाभ										
अन्य जानका री:										
खंडवार आस्तियां										
अनाबंटि त आस्तियां										
कुल आस्तियां										
खंडवार देयताएं										
अनाबंटि त देयताएं										
कुल देयताएं										

नोट: छायांकित भाग में कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाना है

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
राजस्व						
आस्तियां						

टिप्पणियां:

- क) व्यवसाय खंड को सामान्यतः प्राथमिक रिपोर्टिंग फॉर्मेट के रूप में माना जाएगा और भौगोलिक खंड द्वितीय रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा।
- छ) व्यवसाय खंड में 'ट्रेजरी', 'थोक परिचालन (पुनर्वित)', 'थोक परिचालन (प्रत्यक्ष उधार), अन्य व्यवसाय 'होंगे।
- ग) प्रकटीकरण के लिए 'देशी' और 'अंतर्राष्ट्रीय खंड' 'भौगोलिक खंड माने जाएंगे।
- घ) एआईएफआई खंडों के बीच व्यय के आवंटन के लिए उचित और निरंतर आधार पर, अपने स्वयं के उपाय अपनाएंगे।
- ड) 'ट्रेजरी' में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होंगे।
- च) अन्य व्यवसाय में अन्य सभी वित्तीय परिचालन शामिल होंगे जो तीन मुख्य मदों के अंतर्गत क्वर नहीं हुए हैं। उसमें किसी पैरा बैंकिंग लेनदेन/गतिविधियों सहित अन्य सभी अवशिष्ट परिचालन भी शामिल होंगे।
- छ) उपर्युक्त खंडों के अतिरिक्त, एआईएफआई रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान करने के लिए एएस 17 में निर्धारित मात्रात्मक मापदंड का पालन करने वाले अतिरिक्त खंडों को रिपोर्ट करेंगे।

9.3 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

फॉर्मेट

(राशि करोड़ ₹ में)

मद / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	सहयोगी /संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक [®]	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार [#]						
जमा [#]						
जमाराशियों का नियोजन [#]						
अग्रिम [#]						
निवेश [#]						
गैर निधीकृत प्रतिबद्धताएं [#]						

मद / संबंधित पक्ष	मूल (स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अनुसार)	सहायक	सहयोगी /संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक [®]	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
ली गई पट्टे की व्यवस्थाएं [#]						
ली गई पट्टे की व्यवस्थाएं [#]						
अचल आस्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों की विक्री						
भुगतान किया गया ब्याज						
प्राप्त ब्याज						
सेवाएं प्रदान करना *						
सेवाएं प्राप्त करना *						
प्रबंधन संविदाएं*						

⑧ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटीकरण किया जाएगा

* संविदा सेवाएं आदि, न कि विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं।

नोट:

- (i) जहाँ किसी भी श्रेणी में संबंधित पक्षकार की केवल एक इकाई है, वहाँ एआईएफआई द्वारा संबंधित पक्षकार के साथ संबंध के अतिरिक्त किसी भी व्योरे का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा।
- (ii) एक एआईएफआई के लिए उसके संबंधित पार्टीयों में उसकी मूल कंपनी, अनुपर्यंगी कंपनी(नियां), सहयोगी/संयुक्त उद्यम, प्रबंधन कार्मिक (केएमपी), और केएमपी के संबंधीगण शामिल हैं। एआईएफआई के लिए पूर्णकालिक निदेशक केएमपी हैं। केएमपी के संबंधीगण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (एस) में बताये गये अनुसार होगा।
- (iii) जहाँ मानक के अर्थ के भीतर नियंत्रण विद्यमान है, संबंधित पार्टी के रिश्ते की प्रकृति और नाम प्रकट करना होगा, इस पर ध्यान न देते हुए कि लेनदेन हुए हैं या नहीं। आम तौर पर नियंत्रण मूल- अनुपर्यंगी कंपनी संबंधों के मामले में मौजूद होता है। प्रकटीकरण उपर्युक्त संबंधित पार्टी श्रेणियों में से प्रत्येक के कुल योग तक सीमित होगा तथा यह वर्ष के अंत की तिथि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम स्थिति के संबंध में होगा। लेखांकन मानक में राज्य द्वारा नियंत्रित उपक्रमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टीयों, जो खुद भी राज्य नियंत्रित उपक्रम हैं, से लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण न करने की छूट दी गयी है। इस प्रकार, एआईएफआई को उनकी अनुपर्यंगी कंपनियों या अन्य राज्य-नियंत्रित संस्थाओं के साथ उनके लेनदेन को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iv)

(v) गोपनीयता प्रावधान: यदि संबंधित पार्टीयों की उपर्युक्त श्रेणी में से किसी में केवल एक संबंधित पार्टी संस्था हो, तो किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण, एआईएफआई के कार्यों को अभिशासित करने वाली प्रासांगिक संविधियों में निर्धारित गोपनीयता से संबंधित, सामान्य गोपनीयता संबंधी कानूनों या विशेष प्रावधानों, यदि कोई हों तो, के उल्लंघन के समान माना जाएगा। एएस 18 के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में प्रकटीकरण अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी, जहां ऐसे प्रकटीकरण उपलब्ध कराने से रिपोर्टिंग उपक्रम द्वारा किसी संविधि, विनियामक अथवा समरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित गोपनीयता के कर्तव्यों के साथ टकराव होता हो। इसके अतिरिक्त, यदि उद्यम को अभिशासित करने वाली किसी संविधि या विनियामक या समरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन सूचनाओं को प्रकट करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिनका प्रकटीकरण तो ऐसी सूचनाओं को प्रकट न करना लेखांकन मानक के अनुपालन के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। एआईएफआई की ग्राहकों के व्योरों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी न्यायिक रूप से मान्य सामान्य विधिक कर्तव्यों के कारण उन्हें ऐसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर, जहां लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटीकरण संबंधित पार्टी के किसी श्रेणी के संबंध में एकत्रित प्रकटीकरण नहीं हैं अर्थात् जहां संबंधित पार्टी की किसी श्रेणी में मात्र एक ही संस्था है, तो एआईएफआई को उस संबंधित पार्टी से संबंध के अलावा उससे संबंधित किसी अन्य विवरण को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

10. अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं - पेंशन तथा उपदान व्यय के संबंध में पालन की गई लेखांकन नीति का उपर्युक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरण के लेखे पर टिप्पणियों (नोट्स टू अकाउंट्स) में किया जाए।

कुछ लेखा मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन

1. लेखांकन मानक 9 – राजस्व मान्यता

एआईएफआई के द्वारा आरबीआई के विनियामकीय उपायों के अनुपालन में, अनर्जक अग्रिमों और अनर्जक निवेशों के मामले में, आय निर्धारण न करने से सांविधिक लेखा परीक्षकों की अहंता आकर्षित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह मानक के प्रावधानों के अनुरूप होगा, क्योंकि जहां राजस्व की संग्रहणीयता काफी अनिश्चित है वहां यह राजस्व के निर्धारण के स्थगन को मान्यता देता है। उक्त मानक में आय निर्धारण के संबंध में आय की कोई मद महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी, यदि वह एआईएफआई की कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है, यदि आय को एकल आधार पर गिना जाता है, अथवा निवल लाभ (कराधान पूर्व) का एक प्रतिशत, यदि आय को लागत से निवल आधार पर गिना जाता है। यदि उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर आय की किसी मद को महत्वपूर्ण नहीं माना गया हो, तो इसे प्राप्ति के समय मान्यता दी जाए।

2. लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों (एसोसिएट्स) में निवेश के लिए लेखांकन

यह लेखा मानक में समेकित वित्तीय विवरणों में एक समूह के परिचालन परिणाम और वित्तीय स्थिति पर सहयोगी कंपनी में किये गये निवेश के प्रभाव की पहचान करने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। मानक की अपेक्षानुसार किसी सहयोगी कंपनी में निवेश कुछ अपवादों के तहत इक्विटी विधि के अधीन समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकित किया जाएगा। सहयोगी को ऐसे उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और वह न तो सहायक कंपनी है न ही निवेशक का संयुक्त उद्यम है। महत्वपूर्ण प्रभाव से तात्पर्य है कि निवेशिती के वित्तीय और/या परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है परन्तु उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा प्रभाव शेयर स्वामित्व, संविधि या करार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि एक निवेशक अनुषंगियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती की 20 प्रतिशत या उससे अधिक मतदान की शक्ति हासिल करता हो तो यह माना जाता है कि निवेशक महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए कि मामला ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती की मताधिकार शक्तियों के 20 % से कम धारण करता है तो यह माना जाता है कि निवेशक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रखता है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाए। किसी अन्य निवेशक द्वारा पर्याप्त और बहुमत वाले स्वामित्व से किसी निवेशक को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने में बाधा पहुँचे, यह आवश्यक नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या किसी उद्यम में एआईएफआई के द्वारा क्रृत के इक्विटी में संपरिवर्तन, जिसके कारण एआईएफआई

20 प्रतिशत से अधिक धारण करता है, के परिणामस्वरूप एएस 23 के प्रयोजन से निवेशक-एसोसिएट संबंध में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि एआईएफआई ऋण लेने वाले निकाय में अपने अग्रिमों की भरपाई के लिए 20 प्रतिशत से अधिक मतदान की शक्ति प्राप्त कर सकता है, फिर भी वह यह प्रदर्शित कर सकता है उसके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रयुक्त अधिकारों की अपनी प्रकृति संरक्षणात्मक है, न कि सहभागिता वाली। ऐसी परिस्थिति में, इस लेखा मानक के तहत ऐसा निवेश सहयोगी कंपनी में किया गया निवेश नहीं समझा जाए। अतः परीक्षण केवल निवेश के अनुपात का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त करने की मंशा का भी होगा।

3. एएस 27 - संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग

यह मानक संयुक्त उद्यमों में ब्याज के लेखांकन के लिए और उस संरचना या प्रारूप जिसके तहत संयुक्त उद्यम की गतिविधियां की जाती हैं, पर ध्यान दिये बिना उद्यम और निवेशक के वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह मानक मोटे तौर पर तीन प्रकार के संयुक्त उद्यमों की पहचान करता है, नामतः - संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन वाले, संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों वाले तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों वाले। संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों वाले उद्यम के मामले में, जहां एआईएफआई को इस मानक के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त उद्यमों में किये गये निवेश को समेकित वित्तीय विवरण में लेखांकित करके प्रस्तुत करना अपेक्षित है, संयुक्त उद्यमों के निवेशों का लेखांकन इस मानक के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालनों और संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों वाले संयुक्त उद्यमों के संबंध में यह लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण, दोनों के लिए लागू है।

4. एएस 26 - अमूर्त आस्तियां

यह मानक अमूर्त आस्तियों के लिए लेखांकन ट्रीटमेंट का निर्धारण करता है, जो विनिर्दिष्ट रूप से किसी अन्य लेखांकन मानक के तहत नहीं आते हैं। उन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, जो कि एआईएफआई के उपयोग हेतु अनुकूलित है और कुछ समय के लिए उपयोग में होने की उम्मीद है, मानक में निर्धारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में विस्तृत मान्यता तथा परिशोधन सिद्धांत, इन सभी मुद्दों का निवारण करते हैं और एआईएफआई के द्वारा इसका अनुपालन किया जाए।

5. एएस 28 - आस्तियों की क्षति

इस मानक में उन प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिसका प्रयोग एक उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि उसकी आस्तियां वसूली योग्य राशि से अधिक पर

नहीं रखी गई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मानक निवेशों, इन्वेट्रियों और वित्तीय आस्तियों, जैसे क्रहणों एवं अग्रिमों के लिए लागू नहीं होगा और यह मानक सामान्यतः वित्तीय लीज, आस्तियों तथा दावों के निपटान में अधिग्रहित आस्तियों पर तब लागू होगा, जब इकाई को होने वाली क्षति के संकेत स्पष्ट हों।

6. एएस 11 – विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव¹⁸

एएस 11 विदेशी मुद्रा में लेनदेनों के लिए लेखांकन के संदर्भ में और विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण में लागू होता है। इस संदर्भ में उत्पन्न समस्याओं की पहचान की गयी है, तथा एआईएफआई को इस मानक के प्रावधानों का अनुपालन करते समय निम्नलिखित से मार्गदर्शन लेना होगा:

(I) एकीकृत और गैर – एकीकृत विदेशी परिचालनों का वर्गीकरण

एएस 11 के पैरा 17 में यह कहा गया है कि विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण को रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त उसके वित्तपोषण के लिए अपनाए गए तरीके पर निर्भर करेगी तथा रिपोर्ट इस प्रयोजन से विदेशी परिचालन को “एकीकृत विदेशी परिचालनों” या “गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण इस मानक के अनुपालन के सीमित उद्देश्य के लिए है।

(II) विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने और गैर एकीकृत विदेशी मुद्रा परिचालन के रूपांतरण के लिए विनिमय दर.

(क) मानक का पैरा 10 व्यावहारिक कारणों से उस दर के प्रयोग की अनुमति देता है,

जो लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के लगभग है। मानक में यह भी उल्लेख है कि यदि विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो तो एक अवधि के लिए औसत दर का प्रयोग भरोसेमंद नहीं है। चूँकि उद्यमों से अपेक्षित है कि लेनदेनों को घटना की तिथि को ही रिकॉर्ड करें, तो पूर्ववर्ती सप्ताह के साप्ताहिक औसत बंद दर का प्रयोग संबंधित सप्ताह में हुए लेनदेनों के रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है, यदि यह लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के समीप हो। लेनदेनों की तिथि को विनिमय दरों को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयों के मद्देनजर और चूँकि मानक लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के लगभग दर के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है, इसलिए एआईएफआई नीचे दिए गये व्योरे के अनुसार औसत दर का प्रयोग कर सकते हैं:

(ख) एफईडीएआई विभिन्न मुद्राओं के लिए प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक साप्ताहिक औसत बंद दर और प्रत्येक तिमाही के अंत में एक तिमाही औसत बंद दर प्रकाशित करता है।

¹⁸ वर्तमान में, एएस 11 केवल एक्सिम बैंक पर लागू है।

- (ग) वे विदेशी मुद्रा लेनदेन, जिन्हें वर्तमान में लेन-देन की तारीख में भारतीय रूपए में दर्ज नहीं किया जा रहा हो या एक सांकेतिक विनिमय दर का उपयोग कर दर्ज किया जा रहा हो, को अब लेनदेन की तारीख में एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत अंतिम बंद दर का प्रयोग कर रिकॉर्ड किया जाए, यदि यह लेनदेन की तारीख के वास्तविक दर के लगभग हो।
- (घ) एफईडीएआई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित तिमाही औसत बंद दर का प्रयोग, तिमाही के दौरान गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों के परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- (ङ) यदि पिछले हफ्ते की साप्ताहिक औसत बंद दर लेनदेन की तारीख को वास्तविक दर के लगभग न हो, तो लेन-देन की तारीख की बंद दर का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोजन से पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद दर को लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के लगभग नहीं माना जाएगा यदि (1क) पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद दर और (1ख) लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में (1ख) के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक का अंतर हो। गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों के संदर्भ में तिमाही के दौरान यदि विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव हो, तो गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों के आय और व्यय मदों का परिवर्तन तिमाही औसत बंद दर के बजाय लेनदेन की तारीख की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। इस प्रयोजन से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को काफी तब माना जाएगा, यदि दो दरों में अंतर लेनदेन की तारीख को प्रचलित दर के सात प्रतिशत से अधिक होगी।
- (च) एआईएफआई को भारतीय शाखाओं / कार्यालयों के साथ ही साथ एकीकृत विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को लैस करने, और साथ ही, गैर एकीकृत विदेशी परिचालनों की आय और व्यय मदों के परिवर्तन के लिए लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(III) अंतिम (बंद) दर

मानक का पैरा 7 'अंतिम दर' को तुलन पत्र तिथि की विनिमय दर के रूप में परिभाषित करता है। एआईएफआई के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संबंधित लेखांकन अवधि के लिए एएस 11 (संशोधित 2003) के योजन से प्रयोग की जाने वाली अंतिम दर उस लेखांकन अवधि के लिए एफईडीएआई द्वारा घोषित विनिमय की अंतिम स्पॉट दर होगी।

(IV) विदेशी मुद्रा आरक्षित रिजर्व (एफसीटीआर)

विदेशी शाखा(ओं) से संचित लाभ/प्रतिधारित आय के प्रत्यावर्तन पर एफसीटीआर से लाभ और हानि खाते में लाभ की मान्यता के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि

संचित लाभ के प्रत्यावर्तन को एएस 11 के अनुसार गैर-अभिन्न विदेशी परिचालनों में ब्याज के निपटान अथवा आंशिक निपटान के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, एआईएफआई विदेशी परिचालनों से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा आरक्षित रिझर्व में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं देंगे।

समेकित विवेकपूर्ण विवरणी

(i) समेकित एआईएफआई के लिए वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम.सं.	पैरामीटर	राशि
1	कुल आस्तियां	
2	पूंजी और आरक्षित निधियां	
3	विनियामक पूंजी (वास्तविक/ नोशनल) – समेकन के लिए नेटिंग के पश्चात	
4	जोखिम-भारित आस्तियां (वास्तविक/ नोशनल)	
5	पूंजी पर्याप्ता अनुपात (वास्तविक/ नोशनल)%	
6	कुल जमा निधियां	
7	कुल उधार	
8	कुल अग्रिम (सकल)	
9	कुल अनर्जक अग्रिम (सकल)	
10	कुल निवेश (वही मूल्य)	
11	कुल निवेश (बाजार मूल्य)	
12	कुल अनर्जक निवेश	
13	कुल अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों और निवेशों सहित जो अनर्जक हैं) (मद 9 और 12)	
14	अनर्जक अग्रिमों के लिए किया गया प्रावधान	
15	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान	
16	कराधान से पहले लाभ (सितंबर /मार्च को समाप्त छमाही/वर्ष के लिए)	
17	कराधान के बाद लाभ (सितंबर /मार्च को समाप्त छमाही/वर्ष के लिए)	
18	आस्तियों पर प्रतिलाभ (सितंबर /मार्च को समाप्त छमाही/वर्ष के लिए)	
19	इक्विटी पर प्रतिलाभ (सितंबर /मार्च को समाप्त छमाही के लिए)	
20	कुल तुलन पत्रेर एक्सपोजर (आकस्मिक जमाएं)	
21	कुल भुगतान किया गया लाभांश (सितंबर /मार्च को समाप्त छमाही/वर्ष के लिए)	

(ii) बड़े एक्सपोजर

(क) अलग-अलग उधारकर्ताओं के लिए बड़े एक्सपोजर

नोट: ऐसे मामले, जहां विनियामक मानदंडों का उल्लंघन हो, को रिपोर्ट किया जाए। कम से कम, समेकित एआईएफआई की अलग-अलग उधारकर्ताओं के लिए शीर्ष 20 बड़े एक्सपोजर को रिपोर्ट किया जाए।

(ख) उधारकर्ता समूहों के लिए बड़े एक्सपोजर

क्रम सं.	उधारकर्ता समूह का नाम /नाम	समूह का नाम	निधीयन की राशि	गैर-निधीयन की राशि	पूंजीगत निधि का %
1.		कुल	0.00	0.00	0.00%
	कुल		0.00	0.00	0.00%

नोट: ऐसे मामले, जहां विनियामक मानदंडों का उल्लंघन हो, को रिपोर्ट किया जाए। कम से कम, समेकित एआईएफआई की उधारकर्ता समूहों के लिए शीर्ष 20 बड़े एक्सपोजर को रिपोर्ट किया जाए।

(iii) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

राशि
समेकित एआईएफआई के लिए एक दिवसीय ओपन पोजीशन
सीमा का जोड़*

* नोट: जहां भी एक दिवसीय ओपन पोजीशन सीमा का उल्लेख नहीं है, ऐसी संस्थाओं के लिए अवधि के दौरान अधिकतम एक दिवसीय ओपन पोजीशन सीमा को लिया जाए। स्थिति को संस्थाओं के बीच नेटिंग किये बिना रिपोर्ट किया जाए।

(iv) समेकित एआईएफआई के पूंजी बाजार के एक्सपोजर

विवरण	राशि
1. पूंजी बाजार के लिए अग्रिम <ul style="list-style-type: none"> क. निधि आधारित ख. गैर-निधि आधारित 	
2. पूंजी बाजार में इक्विटी निवेश	
3. कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर (1 + 2)	
4. समेकित एआईएफआई की पिछले मार्च की कुल तुलन पत्र आस्तियां (अमूर्त आस्तियों और संचित हानियों को छोड़कर)	
5. समेकित एआईएफआई की पिछले मार्च की कुल तुलन पत्र आस्तियां (अमूर्त आस्तियों और संचित हानियों को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी बाजार एक्सपोजर (प्रतिशत में)	
6. निवल मालियत (पूंजी और आरक्षित निधि)	
7. निवल मालियत के प्रतिशत के रूप में पूंजी बाजार में इक्विटी निवेश (शेयरों, परिवर्तनीय बांड और डिबेंचर और इक्विटी-उन्मुख म्युचुअल फंड के यूनिट में निवेश) (प्रतिशत में)	

नोट - पूंजी बाजार जोखिम की गणना मूल बैंक के अभिकलन के समान है।

(v) समेकित एआईएफआई के लिए बेजमानती गारंटी और बेजमानती अग्रिमों के प्रति एक्सपोजर

1. बकाया बेजमानती गारंटी	
2 बकाया बेजमानती अग्रिम	
3. कुल बकाया अग्रिम	
4. एआईएफआई के बकाया बेजमानती गारंटी का 20 प्रतिशत + बकाया अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया बेजमानती अग्रिम (प्रतिशत में)	

नोट - पूँजी बाजार जोखिम की गणना पैरेंट बैंक के अभिकलन के समान है।

(vi) समेकित एआईएफआई के लिए संरचनात्मक चलनिधि स्थिति

	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन तथा 3 माह तक	3 माह से ऊपर तथा 6 माह तक	6 माह से ऊपर तथा 12 माह तक	1 वर्ष से ऊपर तथा 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ऊपर तथा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ऊपर	कुल
1.पूँजी									
2.आरक्षित निधियां और अधिशेष									
3.जमाराशियां									
4.उधार									
4.1.कॉल और शॉर्ट नोटिस									
4.2.अंतर संस्थागत ¹⁹ (मीयादी)									
4.3.पुनर्वित्त									
4.4.अन्य									
5.अन्य देयताएं और प्रावधान									
5.1 देय विल									
5.2.अंतर-कायालवरीन समायोजन									
5.3.प्रावधान									
5.4.अन्य									
6.ऋण रेखाएँ- के लिए प्रतिवर्द्धः									
6.1.संस्थाएं									
6.2.ग्राहक									
7. नकद ऋण/ ओवरड्रॉफ्ट/ कार्यशील पूँजी के मांग ऋण घटक का न लिया गया भाग									
8.साख पत्र/ गारंटी									
9.रिपो									
10. पुनर्जुनाए गए विल (ईयूपीएन)									
11. स्वैप (खरीद/ विक्री)									
12. देय व्याज									
13.अन्य									
अ. कुल बहिर्प्रवाह									
1.नकद									

¹⁹ अंतर-संस्थागत उधारों में विनियमित वित्तीय इकाइयों से उधार शामिल होंगे।

2. भारिवैं के पास शेष राशियां							
3. अन्य बैंकों के पास शेष राशियां							
3.1. चालू खाता							
3.2. कॉल शॉट नोटिस, भीयादी जमाओं तथा अन्यत्र नियोजित धन							
4. निवेश (रिपो के अंतर्गत को शामिल करते हुए किंतु रिवर्स रिपो को छोड़ कर)							
5. अग्रिम (अर्जक)							
5.1. खरीदे और भुनाए गए विल (डीयूपीएन के अंतर्गत विलों सहित)							
5.2. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर चुकौती किए जाने वाले ऋण							
5.3. भीयादी ऋण							
6. एनपीए (अग्रिम और निवेश)							
7. अचल आस्तियां							
8. अन्य आस्तियां							
8.1. अंतर- कार्यालयीन समायोजन							
8.2. अन्य							
9. रिवर्स रिपो							
10. स्वैप (विक्री/खरीद)/परिपक्व होने वाले फॉरवर्ड							
11. पुनर्भुनाए गए विल (डीयूपीएन)							
12. प्राप्त व्याज							
13. ऋण की प्रतिवद्ध रेखाएं							
आ. कुल अंतप्रेवाह							
इ. असंतुलन (B-A)							
ई. संचयी असंतुलन							
उ. अ के % के रूप में इ							

**समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर) भरने के
संबंध में मार्गदर्शन**

1. प्रस्तावना

समेकित विवेकपूर्ण विवरणी (सीपीआर) का उद्देश्य उस समूह के स्तर पर समेकित विवेकपूर्ण सूचना एकत्र करना है, जिससे पर्यवेक्षित संस्था संबद्ध है। इसका उद्देश्य मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों पर आंकड़े प्राप्त करना है:

- (i) निर्धारित फॉर्मेट में समेकित तुलन पत्र डेटा
- (ii) निर्धारित फॉर्मेट में समेकित लाभ और हानि लेखा
- (iii) समेकित एआईएफआई की वित्तीय जोखिम प्रोफाइल पर चयनित डेटा: निर्धारित प्रारूप के अनुसार समेकित वित्तीय डेटा, बड़े एक्सपोजरों पर डेटा, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, समूह के सीआरआर तथा एसएलआर तथा संपूर्ण समेकित एआईएफआई के लिए संरचित चलनिधि प्रोफाइल।

2. विवरणी की आवधिकता

विवरणी की आवधिकता अर्ध-वार्षिक, अर्थात् 31 मार्च/30 सितंबर²⁰ 23 को होगी।

3. सामान्य दिशानिर्देश

सीपीआर के एक भाग के रूप में समेकित तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा का संकलन करने हेतु समेकित वित्तीय विवरण (सीपीएस) तथा समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्ट (सीपीआर) तैयार करने के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4. सीपीआर (अनुबंध III)

(i) समेकित एआईएफआई के लिए वित्तीय स्थिति
फॉर्मेट के अनुसार समेकित वित्तीय डेटा (समेकित एआईएफआई के स्तर पर) के लिए तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए सामान्य मार्गदर्शन का प्रयोग किया जाए।

(ii) बड़े एक्सपोजर

एक समूह के किसी एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ता समूह को एक्सपोजर में निधीकृत तथा गैर-निधीकृत, दोनों एक्सपोजर शामिल होते हैं। एक्सपोजर सीमाओं, बकाया राशि अथवा मंजूर सीमा के प्रयोजन से जो भी अधिक हो, उसे रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग संस्था द्वारा इस भाग के संकलन के लिए समेकित एआईएफआई की विभिन्न इकाइयों के एक्सपोजरों का समेकन किया जाना अपेक्षित होगा। निधीकृत एक्सपोजर में ऋण और अग्रिम (खरीदे गए / भुनाए गए बिलों सहित), तथा बांडों/डिबेंचरों और इक्विटी में निवेश शामिल किए जाएंगे। गैर निधीकृत एक्सपोजरों

²⁰ एनएचबी के मामले में 30 जून/31 दिसंबर

में गारंटियां (वित्तीय), गारंटियां (वित्तेतर) साख-पत्र, हामदारियां, प्रतिबद्धताएं आदि शामिल किए जाएंगे।

समेकित एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता/ कर्जदार के प्रति एक्सपोजर उसकी पूंजी निधियों के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। समेकित एआईएफआई द्वारा उधारकर्ता/ कर्जदार समूह के प्रति एक्सपोजर उसकी पूंजी निधियों के 40% से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी उधारकर्ता/ कर्जदार समूह के प्रति समग्र एक्सपोजर 40% के एक्सपोजर मानदंडों से अतिरिक्त 10% हो सकता है (अर्थात् 50% तक), बशर्ते यह अतिरिक्त एक्सपोजर इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए होगा। पूंजी निधियों, एक्सपोजर आदि की गणना एआईएफआई के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुरूप होगी।

इस भाग में, ऐसे मामले रिपोर्ट किए जाएंगे, जहां एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ता समूह के मामले में विनियामक मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। इसमें समेकित एआईएफआई द्वारा एकल उधारकर्ता/ कर्जदार समूह के प्रति कम से कम शीर्षस्थ 20 बड़े एक्सपोजरों को रिपोर्ट किया जाएगा।

(iii) विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) एक्सपोजर

जहां समेकित एआईएफआई के लिए एक दिवसीय खुली स्थिति सीमाओं (Overnight Open Position Limits) का योग रिपोर्ट किया जाएगा। जहां भी एक दिवसीय खुली स्थिति सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं, वहां ऐसी इकाइयों के लिए अवधि के दौरान अधिकतम् एक दिवसीय खुली स्थिति सीमाओं को समेकन के लिए लिया जाएगा। संस्थाओं में नेटिंग किए बिना स्थिति को रिपोर्ट किया जाए।

(iv) पूंजी बाजारों के प्रति एक्सपोजर

पूंजी बाजार एक्सपोजरों की गणना मूल एआईएफआई के लिए गणना के समान ही होगी। पूंजी बाजार को अग्रिम (निधि आधारित) में व्यक्तियों को ऋण, शेयर तथा स्टॉक ब्रोकर, मार्केट मेकरों को शामिल किया जाएगा, जबकि पूंजी बाजार में गैर निधि-आधारित सुविधाओं में स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक ब्रोकरों की ओर से जारी वित्तीय गारंटियों तथा अन्य वित्तीय गारंटियों को शामिल किया जाएगा। पूंजी बाजार में इक्विटी निवेश में इक्विटी, इक्विटी-उन्मुख मुच्युअल फंड तथा परिवर्तनीय बांड और डिवेंचर शामिल किए जाएंगे।

(v) समेकित एआईएफआई के लिए संरचित चलनिधि स्थिति

इस भाग में पूरे समेकित एआईएफआई के नकद अंतर्प्रवाहों तथा बहिर्प्रवाहों की परिपक्षता संरचना को कैप्चर किया जाना अपेक्षित है, जिसे 8 परिपक्षता खानों में बांटा गया है। समेकित एआईएफआई द्वारा इन 8 समय-दलों (टाइम बैंड) में किए गए परिपक्षता असंतुलन अथवा अंतर समेकित एआईएफआई द्वारा समाना किए जाने वालए चलनिधि जोखिम को दर्शाएंगे। अंतः-समूह लेनदेनों और एक्सपोजरों को इस समेकन में शामिल नहीं किया जाएगा।

इन निवेशों के द्वारा निरसन किए गए परिपत्रों की सूची [अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एकिज्ञम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, और एनएबीएफआईडी) पर लागू होने की सीमा तक]

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपवि.एफआईडी.सं.20/02.01 .00/1997-98	04.12.1997	मीयादी क्रहणदात्री वित्तीय संस्थाओं के व्यक्तियों/समूह उधारकर्ताओं के प्रति क्रहण एक्सपोज़रों पर सीमाएं
2.	<u>मौनीवि.बीसी.187/07.01.27 9/1999-2000</u>	07.07.1999	वायदा दर करार/ व्याज दर स्वैप
3.	बैंपवि.एफआईडी.सं.सी- 9/01.02.00/2000-01	09.11.2000	दिशानिर्देश- निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन
4.	<u>बैंपवि.एफआईडी.सं.सी- 19/01.02.00/2000-01</u>	28.03.2001	पुनर्रचित खातों का ट्रीटमेंट
5.	बैंपवि.एफआईडी.सं.सी- 26/01.02.00/2000-01	20.06.2001	मौद्रिक एवं क्रहण-नीतिक उपाय 2001-2002 – क्रहण एक्सपोज़र मानदंड
6.	<u>बैंपवि.एफआईडी.सं.सी- 2/01.11.00/2001-02</u>	25.08.2001	कॉपरेट क्रहण पुनर्रचना (सीडीआर)
7.	<u>बैंपवि.एफआईडी.सं.सी.- 6/01.02.00/2001-02</u>	16.10.2001	निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर दिशानिर्देश – संशोधन/ स्पष्टीकरण
8.	<u>बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 96/21.04.048/2002-03</u>	23.04.2003	प्रतिभूतीकरण कंपनी/ पुनर्रचना कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
9.	<u>आईडीएमसी.एमएमआरडी.48 01/06.01.03/2002-03</u>	03.06.2003	एक्सचेंज ट्रेडिंग व्याज दर डेरिवेटिव्स पर दिशानिर्देश
10.	<u>बैंपवि.एफआईडी.सं.सी- 5/01.02.00/2003-04</u>	01.08.2003	समेकित लेखांकन तथा समेकित पर्यवेक्षण पर दिशानिर्देश
11.	<u>बैंपवि.एफआईडी.सं.सी- 11/01.02.00/2003-04</u>	08.01.2004	वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रहण प्रतिभूतियों में निवेश पर अंतिम दिशानिर्देश
12.	<u>बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआई सी.8/01.02.00/2009-10</u>	26.03.2010	लेखों पर टिप्पणियां में अतिरिक्त प्रकटीकरण
13.	<u>बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआई सी.9/01.02.00/2009-10</u>	26.03.2010	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड – एनपीए स्तरों का परिकलन
14.	<u>बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआई सी.5/01.02.00/2010-11</u>	18.08.2010	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित निवेशों की बिक्री

15.	<u>बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआई सी.8/01.02.00/2010-11</u>	02.11.2010	तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड – प्रतिपक्षकार ऋण एक्सपोजरों के लिए द्विपक्षीय नेटिंग
16.	<u>बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.99/21 .04.132/2012-13</u>	30.05.2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अग्रिमों की पुनर्रचना पर दिशानिर्देशों की समीक्षा
17.	<u>बैंपविवि.सं.एफआईडी.एफआई सी..5/01.02.00/2012-13</u>	17.06.2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अग्रिमों की पुनर्रचना पर दिशानिर्देशों की समीक्षा
18.	<u>बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 97/21.04.132/2013-14</u>	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा – संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देश
19.	<u>बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 98/21.04.132/2013-14</u>	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा – परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रिय तथा अन्य विनियामक उपाय
20.	<u>बैंपविवि.सं.एफआईडी.सं.5/01. 02.00/2014-15</u>	11.06.2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की विक्री और संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश

इन निदेशों द्वारा समेकित परिपत्रों की सूची [एआईएफआई (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, और एनएबीएफआईडी) पर लागू होने की सीमा तक]

सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	<u>डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.61/21. 04.018/2016-17</u>	18.04.2017	बैंकों द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 11 [विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव] के अनुपालन पर दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
2.	<u>डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.43/21. 01.003/2018-19</u>	03.06.2019	बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क
3.	<u>डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21. 04.048/2018-19</u>	07.06.2019	दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा
4.	<u>विवि.एसीसी.आरईसी.सं.46/21. 04.018/2021-22</u>	30.08.2021	वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण निदेश, 2021
5.	<u>विवि.एसटीआर.आरईसी.51/21. 04.048/2021-22</u>	24.09.2021	ऋण एक्सपोजरों के अंतरण निदेश, 2021
6.	<u>विवि.एसटीआर.आरईसी.53/21. 04.177/2021-22</u>	24.09.2021	मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण संबंधी निदेश, 2021
7.	<u>विविएफआईएन.आरईसी.40/0 1.02.000/2023-24</u>	21.09.2023	बासेल III पूँजी ढांचे, जोखिम मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम, 2023
8.	<u>एफएमआरडी.डीआईआरडी.सं.05/14.03.061/2023-2024</u>	27.12.2023	सरकारी प्रतिभूति उधार निदेश, 2023